③

दिनांक : २० .04.2022

F.I.R.
(CR.P.C. 154)
प्रथम खबर
(फौजदारी कायदा कलम 154 अन्वये)

प्रति,

थाना-प्रभारी
पुलिस थाना - टोंकखुर्द,
जिला देवास, मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं चरण पिता मंदरूप [पताः ग्राम - पान्दा, तहसील - टोंकखुर्द, पुलिस थाना - टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्यप्रदेश – 455001 (मोब. 74402-50584)] सबूतों के साथ गुनाह की खबर दे रहा हूँ।

A. <u>गुनाह की खबर देने वाले का नाम व पताः</u> **चरण पिता मंदरूप**
पताः ग्राम - पान्दा, तहसील - टोंकखुर्द, पुलिस थाना - टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्यप्रदेश - 455001
मोब. 74402-50584

B. <u>आरोपी का नाम व पताः</u>

आरोपी : एमरजेंसी नं. 100 पर फोन करने के बाद जो <u>भी पुलिसकर्मी दि. 07.11.2020 के दिन घटनास्थल</u> (चरण पिता मंदरूप के घर ग्राम - पान्दा, तहसील - टोंकखुर्द, पुलिस थाना - टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्यप्रदेश – 455001) <u>पर पहुँचे थे वे सभी पुलिसकर्मी दोषी है।</u>

C. <u>गुनाह करने की तारीखें:</u>

1. दि. 07.10.2020 के दिन एमरजेंसी नं. 100 पर फोन करके पुलिस को शिकायतकर्ता ने खुद की सहायता के लिए बुलाया था तब पुलिस आई मगर शिकायतकर्ता की शिकायत सुनने की अपेक्षा भ्रष्टाचार करते हुये बिना पंचनामा किये व FIR दर्ज किये वापस चली गई और ईमानदारी से अपनी ड्यूती नहीं निभाई। सहायता के लिये आई पुलिस की ड्यूटी थी कि, वह शिकायतकर्ता की शिकायत को कलमबद्ध करती और परिस्थिती अनुसार उन्हें जरूरत पड़ने पर मैडिकल सुविधा उपलब्ध करवाती इसके अलावा आरोपी पक्ष को पुलिस थाने बुलाकर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही करती, पंचनामा करती जो ना किया जाना अपराधी पक्ष को अपराध करने के लिये प्रोत्साहन करना साबित होता है।

2 दि. 07.10.2020 के दिन जब दूसरी बार एमरजेंसी नं. 100 पर फोन करके पुलिस को शिकायतकर्ता ने खुद की सहायता के लिए बुलाया तो उन्होंने शिकायतकर्ता की शिकायत सुनने की अपेक्षा शिकायतकर्ताओं के साथ गली-गलोच किया और बिना अपनी ड्यूटी निभाये वापस चले गये।

D. <u>गुनाह के ठिकाना:</u> **चरण पिता मंदरूप के घर का दरवाजा तोड़कर अपराध (मारपीट व गाली-गलौच) किया गया**

पता : ग्राम - पान्दा, तहसील - टोंकखुर्द, पुलिस थाना - टोंकखुर्द, जिला देवास, मध्यप्रदेश - 455001

E. <u>गुनाह :</u>

1. **एमरजेंसी नं. 100 पर फोन करके पुलिस को शिकायतकर्ता ने खुद की सहायता के लिए बुलाया तो पुलिस आई मगर शिकायतकर्ता की शिकायत सुनने की अपेक्षा भ्रष्टाचार करते हुये बिना पंचनामा किये व FIR दर्ज किये वापस चली गई और ईमानदारी से अपनी ड्यूती नहीं निभाई।**

2. **गुनाह किस प्रकार किया गया :**

   a. दि. 07.10.2020 के दिन एमरजेंसी नं. 100 पर फोन करके पुलिस को शिकायतकर्ता ने खुद की सहायता के लिए बुलाया था तब पुलिस आई मगर शिकायतकर्ता की शिकायत सुनने की अपेक्षा भ्रष्टाचार करते हुये बिना पंचनामा किये व FIR दर्ज किये वापस चली गई और ईमानदारी से अपनी ड्यूती नहीं निभाई। सहायता के लिये आई पुलिस की ड्यूटी थी कि, वह शिकायतकर्ता की शिकायत को कलमबद्ध करती और परिस्थिती अनुसार उन्हें जरूरत पड़ने पर मैडिकल सुविधा उपलब्ध करवाती इसके अलावा आरोपी पक्ष को पुलिस थाने बुलाकर उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही करती, पंचनामा करती जो ना किया जाना अपराधी पक्ष को अपराध करने के लिये प्रोत्साहन करना साबित होता है।

   b. जब दूसरी बार एमरजेंसी नं. 100 पर फोन करके पुलिस को शिकायतकर्ता ने खुद की सहायता के लिए बुलाया तो उन्होंने शिकायतकर्ता की शिकायत सुनने की अपेक्षा शिकायतकर्ताओं के साथ गली-गलोच किया और बिना अपनी ड्यूटी निभाये वापस चले गये।

F. <u>किये गये गुनाह की धारा :</u> **IPC की धारा 166, 166A, 120(b) आदि**

G. <u>हकीकत:</u>

दिनांक 07.10.2020 की शाम 7:00 बजे मेरी माताजी जसोदा बाई, मेरी बहन माया बाई, मेरे बहनोई बलवान, मेरी बहु (छोटे स्व. भाई की पत्नि) नर्मदा बाई व उनके लड़के हेमराज आदि पांचों ने मेरे घर

का दरवाजा तोड़कर मेरे घर के अन्दर घुसे और लकड़ी, पत्थर ईंट आदि से हमला किया, मारपीट की व हमें जान से मारने की धमकी दी। मेरी पत्नि ने बीच बचाव किया, जिसकी वजह से इन पाँचों ने उसे भी धक्का देकर गिरा दिया तो मैंने 100 नंबर पर फोन करके गाड़ी बुलवाई। जब 100 नंबर की गाड़ी ग्राम - पांदा आई तब मेरी माताजी जसोदा भाई और बहनोई बलवान ने पुलिस को रिश्वत देकर गाड़ी को वापस भिजवा दिया और पुलिस की गाड़ी बिना कोई कार्यवाही किए वापिस चली गई। लगभग 1 घंटे बाद फिर से मेरी माताजी, बहनोई बलवान, बहन माया बाई, बहु (स्व. भाई की पत्नि) नर्मदा बाई व उसके लड़के हेमराज आदि ने हम लोगों को गंदी-गंदी व भद्दी-भद्दी गालियाँ देना शुरू कर दिया तो मैंने और मेरी पत्नि ने, मेरे ससुरजी विक्रम सिंह को फोन किया और उन्हें सारी बातें बताई। जिसके बाद मेरे ससुरजी विक्रम ने 100 नंबर पर फोन किया तब 100 नंबर की पुलिस की गाड़ी दुबारा हमारे घर पर आई, लेकिन इस बार भी हमारी कोई बात नहीं सुनी गई और पुलिस की गाड़ी फिर से बिना कोई कार्यवाही किए वापिस चली गई।

संबंधित मामले में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों/अधिकारियों के विरुद्ध IPC की धाराओं 166, 166A, 120(b) आदि के तहत FIR दर्ज करते हुये कार्यवाही शुरू की जाये जिन्होंने अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी नहीं रखी और भ्रष्टाचार करते हुए अपराधियों को बचाने का कार्य किया।

चरण पिता मंदरूप
मोब. 74402-50584

<u>संलग्न दस्तावेज़ :</u>

1. दि. 12.10.2020 का शिकायत-पत्र
2. कार्यालय पुलिस दूरसंचार संगठन मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी पत्र (क्रमांकः-पुदूसंसं/सू.अधि./R-1057-B/21 भोपाल, दि. 08.10.2021)

   एमरजेंसी नंबर 100 पर दो बार कॉल की गई जिसकी जानकारी RTI से मांगी गई जो बहाने से नहीं दी गई जिससे साबित हो रहा है कि, की गई शिकायत सही है और उसपर कार्यवाही ना करनेवाले पुलिसकर्मी दोषी हैं। संबंधित दस्तावेज़ (कार्यालय पुलिस दूरसंचार संगठन मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा जारी पत्र क्रमांकः-पुदूसंसं/सू.अधि./R-1057-B/21 भोपाल, दि. 08.10.2021) उपरोक्त कथन को सत्य साबित करते हैं।

भारतीय डाक
India Post

EI030580618IN TVR:6973030580618
SP TARANA S.O <456665>
Counter No:3,20/04/2022,11:36
To:THANA INCHARG,THANA TONK KHURD
PIN:455001, Dewas H.O
From:CHARAN,PANDA TONK KHURD
Wt:30gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

EI030580666IN TVR:6973030580666
SP TARANA S.O <456665>
Counter No:3,20/04/2022,11:36
To:THANA INCHARGE,THANA TONKKHURD
PIN:455001, Dewas H.O
From:CHARAN,PANDA TONK KHURD
Wt:30gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>

<Dial 18002666868> <Wear Masks, Stay Safe>

भारतीय डाक
India Post

EI030580697IN TVR:6973030580697
SP TARANA S.O <456665>
Counter No:3,20/04/2022,11:36
To:THANA INCHARGE,THANA TONKKHURD
PIN:455001, Dewas H.O
From:CHARAN,PANDA TONK KHURD
Wt:30gms
Amt:41.30(Cash)Tax:6.30
<Track on www.indiapost.gov.in>

प्रति

थाना प्रभारी महोदय

पुलिस थाना टोंक खुर्द जिला देवास

विषय :- प्रार्थीगन को प्रतिप्रार्थी एक साथ होकर शाम 7 बजे आकर घर में घुसकर लड़ाई झगडा किया और मारपीट की गयी तथा जान से ख़त्म करने की धमकी देकर परेशान व् प्रताड़ित करने बाबद |

महोदय ,

उपरोक्त विषय में निवेदन है की हम प्रार्थी चरण पिता मंदरूप जी उम्र 35 साल ,पत्नी सुनीता पति चरण निवासी पांदा का होकर मेरी पेत्रक भूमि ग्राम पांदामें है मेरे पिताजी की मृत्यु 08/04/2019 को हो गयी थी मेरे पिताजी की पेत्रक 6 बीघा जमीन है जिसमे से मेरे हिस्से १.५० बीघा जमिन मेरे हिस्से में आई थी में मेरे हिस्से में जो जमींन आई थी जिस पर में खेती कर रहा था लेकिन अब मेरी माताजी जसोदा बाई पति मंदरूप, जीजाजी बलवान पिता मंदरूप निवासी सालमखेडी ,मेरी बहन माया पति बलवान निवासी सालम खेडी मेरे भाई की पत्नी नर्मदा पति स्व. इश्वर निवासी पांदा एवं मेरा भतीजा अंकित पिता इश्वर द्वारा दिनांक ०७/१०/२०२० को शाम ७ बजे घर पर खाना खा रहे थे तभी इन लोगो द्वारा घर में घुस कर माँ बहन की नग्गी उगादी गाली गलोच दी गयी और कहा की तू जमींन पर से राजी नामाँ करता है या नहीं नहीं तो तुझे जान से ख़त्म कर देंगे इस पर मेरे द्वारा कहा गया की मेने जमींन का प्रकरण न्यायालय तहसीलदार महोदय तहसील टोंक खुर्द पर चल रहा है ,एवं जो निर्णय तहसीलदार महोदय कर देंगे वह मुझे मान्य रहेगा इस बात को लेकर इन आरोपियों द्बारा मेरे घर पर लगा हुआ दरवाजा तोड़ दिया गया और घर के अन्दर घुस कर मेरे ऊपर लकड़ी ,पत्थर इट आदि से मेरे ऊपर हमला किया गया जिसमे मुझे चोट आई एवं मेरी पत्नी सुनीता द्वारा बिच बचाव किया गया तो उसे भी धक्का देकर गिरा दिया गया तथा उसी समय मेरे ससुर विक्रम पिता भेरुलाल द्वारा डायल १०० बुलाई गयी तभी जाकर झगडा ख़त्म हुवा नहीं तो वो लोग मुझे एवं मेरी पत्नी को जान से मार देते एवं दूसरी बार में डायल १०० को बुलाया गया तो गयी के आरक्षको द्वारा हमें गली गलोच की गयी | दुसरे दिन जब हम थाना टोंक खुर्द पहुचे तो हमें सुबह ८ बजे बिना रिपोर्ट लिखे भगा दिया गया | अत मेरा आपसे अनुरोध है की इन लोगो के विरुद्ध क़ानूनी कार्यवाही की जावे अन्यथा ये लोग मुझे और मेरे परिवार जान से मर देंगे |

अत श्रीमान से निवेदन है की मुझे मेरी पेत्रक सम्पति में से हिस्सा दिलाने की कृपा करे क्योकि मेरे परिवार के गुजर बसर का बस यही १.५० बीघा जमींन ही सहारा है |

प्राप्त
[signature]
12/10/20

धन्यवाद

चरण

प्राथी

XV—OR—108

भारत शासन सेवा

RI 60722255 5IN

REGD

क्रमांक R-1057-B/21

श्री विक्रम सिंह पिता श्री
भैराजी ग्राम मजराखेड़ा काठ
बड़ौदा तहसील तराना
जिला उज्जैन म.प्र.
456770

अधीक्षक
कार्यालय

पुलिस दूरसंचार संगठन पिन 462003

राजेस्ट्री

कार्यालय पुलिस दूरसंचार संगठन मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांकः–पुदूसंसं/सू.अधि./पी– /21 भोपाल, दिनांक / /2021

प्रति,

लोक सूचना अधिकारी/
अति.पुलिस अधीक्षक
जिला –देवास (म.प्र.)
455001

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत् जानकारी चाहने बावत्।

----0000----

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) की उपधारा (3) के अंतर्गत श्री विक्रम सिंह पिता श्री भैराजी ग्राम मजराखेडा काठ बडौदा तह. तराना जिला –उज्जैन से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 15/09/21 को प्राप्त हुआ। परीक्षण उपरांत बिन्दु क्रमांक 3,4,5,6,7 की वस्तुस्थिति आपके कार्यालय से संबंधित होने के कारण आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अंतरित की जा गई है। बिन्दु कमांक 01 तथा 02 की जानकारी संलग्न है। उक्त जानकारी विवेचना में सुसंगत होने से दी जा सकती है अथवा नही का निर्णय आपके स्तर पर ही संभव है। अतः जानकारी सादर प्रेषित है।

संलग्नः– बिन्दु क.1 (02 पेज)
बिन्दु क.02 (सीडी 01 नग)

(राजेश कुमार सिंह)
लोक सूचना अधिकारी/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक(रेडियो)
म.प्र., भोपाल

क्रमांकः–पुदूसंसं/सू.अधि./R-1057-B /21 भोपाल, दिनांक 08/10 /2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. सहायक पुलिस महानिरीक्षक सूचना का अधिकार पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर पत्र क्रमांक पुमु/अमनि/आरटीआई/470/2021, भोपाल दिनांक 20/09/21 के संदर्भ में सादर सूचनार्थ।
2. आवेदक श्री विक्रम सिंह पिता श्री भैराजी ग्राम मजराखेडा काठ बडौदा तह. तराना जिला –उज्जैन